"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 अप्रैल 2017 — चैत्र 30, शक 1939

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2017/283. — छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्र. एडी 0-26 महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में, -

1. नियम 10 में, -

(क) उप-नियम (2) में, खण्ड (ख) में, शब्द "व्यास" के स्थान पर, शब्द "त्रिज्या" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(ख) उप-नियम (4) में, शब्द "व्यास" के स्थान पर, शब्द "त्रिज्या" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नायक, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2017/284.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2017/283, दिनांक 12-04-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नायक, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur the 12th April 2017

NOTIFICATION

No./Panch./PGVV/22/2017/283. — The following further draft amendment in the Chhattisgarh Gram Panchayat (Registration of Colonizer Terms and Conditions) Rules, 1999, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (3) of Section 95 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby, published as required under sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, of the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours, by the Office of the Joint Secretary, Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh, Room No. AD 0-26, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 10,-

    (a) in sub-rule (2), in clause (b), for the word "diameter", the word "radius" shall be substituted; and

    (b) in sub-rule (4), for the word "diameter", the word "radius" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. L. NAIK, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.